

प्रेषक,

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक- 14 नवम्बर, 2017

विषय:- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ग्राम-झाला, विकासखण्ड- भटवाड़ी, जनपद-उत्तरकाशी में स्थापित "Controlled Atmosphere Cold Storage Unit" के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1755/APEDA-CA Store/2017-18, दिनांक-13 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1094/XVO-1/17/11(6)/2009, दिनांक-09 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से विषयगत कोल्ड तथा सी.ए.कोल्ड स्टोरेज को संचालित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त कोल्ड स्टोर के संचालन हेतु शासन को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र दिनांक-23 सितम्बर, 2017 एवं मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी का पत्र दिनांक-04 अक्टूबर, 2017 प्राप्त हुआ, जिसमें जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा उक्त नवनिर्मित कोल्ड स्टोर को संचालित किये जाने हेतु स्थानीय दो क्षेत्रीय कृषकों/उद्यानपतियों के फैंडरेशनों के तैयार होने, कोल्ड स्टोर को संचालित किये जाने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों की आवश्यकता एवं दक्ष कार्मिकों की सहभागिता के दृष्टिगत एक वर्ष हेतु उक्त कोल्ड स्टोर स्थानीय दो फैंडरेशनों को दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की गई।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के उक्त पत्र के क्रम में शासनादेश संख्या-1800/XVI-1/17/11(6)/2009, दिनांक-16 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से "उपला टकनौर एग्री प्रोड्यूसर कम्पनी" एवं "फल उत्पादन समिति हर्षिल" के सम्बन्ध में संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु वांछित आख्या शासन को अप्राप्त है। अपितु शासन के पत्र दिनांक-09 अक्टूबर, 2017 के क्रम में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए उक्त कोल्ड स्टोर को "औद्यानिक विपणन बोर्ड" को संचालित किये जाने हेतु हस्तान्तरित किये जाने की संस्तुति की गई है।

...2/-

- 1213 -

2/11/17

3- अतः इस सम्बन्ध आप द्वारा की गई संस्तुति एवं प्रस्तर-2 के आलोक में दिनांक-24-04-2014 को प्रमुख सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त दिनांक-04 जून, 2014 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से ग्राम-झाला, विकासखण्ड-भटवाड़ी, जनपद-उत्तरकाशी में स्थापित "Controlled Atmosphere Cold Storage Unit" कोल्ड स्टोर का संचालन नियामनुसार उत्तराखण्ड औद्योगिक विपणन बोर्ड के माध्यम से किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,


(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)  
अपर सचिव।

संख्या-1828/XVI(1)/17/11(6)/2009, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय मोटर्स, माजरा, देहरादून।
- 2- अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) तीसरी मंजिल एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गॉव के सामने), नई दिल्ली-110016
- 3- सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)।
- 6- निदेशक, यू.यू.एच.एफ., भरसार, पौड़ी गढ़वाल।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर, जनपद-उधमसिंहनगर।
- 8- निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान सर्किट हाउस, देहरादून।
- 9- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्योगिक विपणन परिषद, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून।
- ✓ 10- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- समस्त जिला/मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(विकास कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।